न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर रीवा खण्ड पीठ रीवा म0प्र0

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

Rec. 761/

निगरानी 1698-II-15

135
12-5-15

1:-कैलाश साहूँ पिता स्व0 श्री मुन्ना लाल साहूँ

2- प्रहलाद साहूँ पिता स्व0 श्री मुन्नालाल साहूँ

दोनो निवासी ग्राम डेलौरा तहसील रघुराजनगर सतना जिला सतना म0प्र0---

क्रमांक 5506

रजिस्टर्ड पोस्ट ~~आज~~ ---------------------------------------आपत्तिकर्ता/ निगराकार

दिनांक..................को प्राप्त

बनाम

कक्ष 1-6-15

राजस्व मण्डल

1-हाजी नसीर मोहम्मद तनय श्री महमूद मोहम्मद द्वारा- मो0 सकील पिता स्व0 श्री हाजी नसीर सा0 बास रेस्टोरेन्ट शास्त्री चौक सतना------- आवेदक/ गैर निगराकार

2-शासन म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष महो0 सतना-------------अना0/गैरनिगराकार

श्री विपिन त्रिपाठी .एड
द्वारा आज दिनांक 12-5-15 के
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी बिरूद्ध आदेश दिनांक 23-4-15 जो तहसील दार रघुराजनगर जिला सतना द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 115 ए12/ 2013-14 मे पारित किया।

अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 सं0

मान्यवर,

- निगराकार/आपत्तिकर्ता निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि :-

संक्षिप्त तथ्य

संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण इस प्रकार से था कि आराजी कमांक 131,132 तथा आराजी कमांक 133 कुल रकबा 0.360 हें0 मौजा डेलौरा तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 निगराकार के पिता मुन्नालाल साहूँ के स्वत्व एवं अधिपत्य तथा कब्जे दखल की आराजी थी उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिस पुत्र निगराकार गण तथा पत्नी मुस0 बुधिया के नाम रिकार्ड खसरो में वारसाना नामांतरण हुआ,तथा निगराकार की उक्त आराजी से लगी हुई आराजी कमांक 455/1/1/2 रकबा 1.75 एकड मौजा सतना गैर निगराकार कमांक 1 के नाम आराजी दर्ज अभिलेख

प्रहलाद कुमार साहू   कैलाश साहू

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.1698-दो/15 ..... जिला ..... सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.16 2.3.16	मैंने आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया। आरोपित आदेश दि. 23-5-15 स्पष्ट है, उसमें आवेदक की आपत्ती का निराकरण SLR द्वारा किए जाने का लेख है। आवेदक अपने पक्षसमर्थन में जिन दस्तावेजों की प्रतियां देना चाहते थे (जिसमें उनका आपत्ती आवेदन और पूर्व में हुए उनकी भूमि के सीमांकन के दस्तावेज वे देना चाहते थे) को देने हेतु उन्हें समक्ष में सुनवाई के दौरान समय दिया गया था, किन्तु उनके द्वारा वह मौके के बावजूद उपलब्ध नहीं कराए गए। ऐसे में यदि इस आवेदन को ग्राह्य किया जाता है, तो अनावश्यक न्यायिक वाद बढ़ने की	

R 1698-II/15 सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	संभावना स्पष्ट है। अतः यह आवेदन अग्राह्य करते हुए यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। दा. द. हो। (सदस्य)	